भारतीय किसान संघ

रीति – नीति

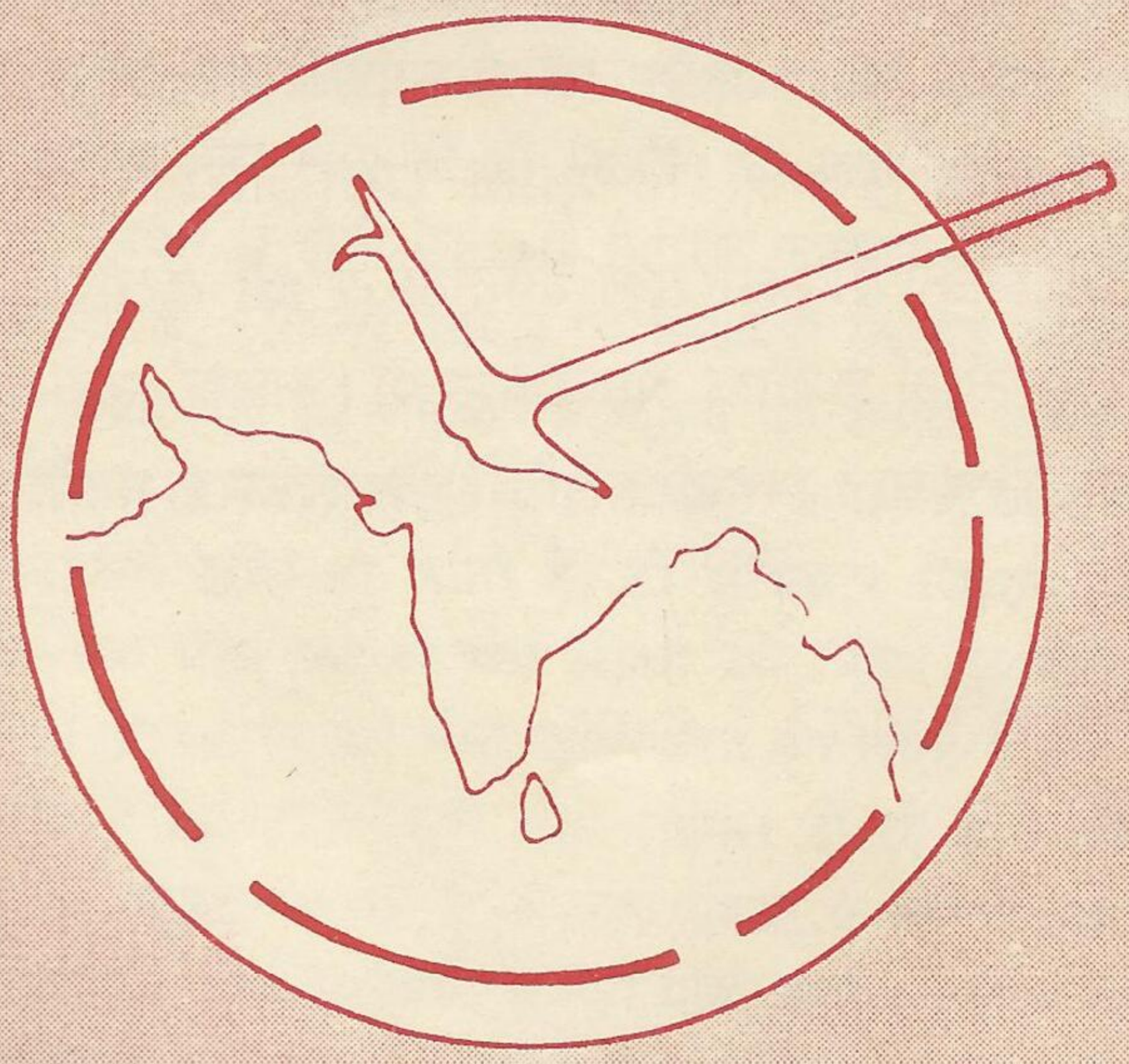

– दत्तोपंत ठेंगड़ी

समर्पण

भारतीय किसान संघ की स्थापना चार मार्च, १९७९ को कोटा में हुए प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में हुई। उस समय तो प्रारंभ ही था, अतः आज जैसा स्वरूप उस समय नहीं था। अभी ११, १२ एवं १३ फरवरी को खाटूश्याम जी, राजस्थान में भारतीय किसान संघ का पंचम अखिल भारतीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अब तक भारतीय किसान संघ ने एक मान्य स्वरूप ग्रहण कर लिया। अपनी सही दिशा एवं सत्य-संकल्प के कारण भारतीय किसान संघ ने एक विशेष छवि प्राप्त की।

इस पंचम अखिल भारतीय अधिवेशन में भारत भर के सब प्रान्तों से आये हजारों किसान प्रतिनिधियों के बीच भारतीय किसान संघ के संस्थापक माननीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का धारा-प्रवाह मार्ग दर्शक भाषण हुआ। मन्त्र-मुग्ध कर देने वाला वह भाषण किसान कार्यकर्ताओं के करकमलों में पुस्तक रूप में समर्पित है।

भारत माता की जय!

चौधरी रामपाल सिंह

अधिवक्ता

भारतीय किसान संघ रीति-नीति

संघटन का आधार पारिवारिक भावना

कोटा में, १९७९ में हम लोग मिले थे तो यह काम की शक्ल-सूरत कुछ नहीं थी। हम लोग अपने ढंग से काम खड़ा करना चाहते थे। वैसे तो हिन्दुस्थान में संस्थाएं बहुत चलती हैं। संस्था चलाने का अपना ढंग होता है। किन्तु हम लोगों ने सोचा कि हम अपने ढंग से काम करेंगे। और इसकी, इस काम की विशेषता यह है कि हिन्दुस्थान में जहां सभी संस्थाएं केवल संविधान (कांस्टिट्यूशन) के आधार पर काम करती हैं, वहां हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, संविधान है, संविधान होना चाहिए, लेकिन हमारा आधार संविधान नहीं है, हमारा आधार पारिवारिक भावना रहेगी। हम सब मिलकर एक परिवार हैं, यह जो पारिवारिक भावना है, यही हमारा आधार है। ठीक है, परिवार में भी कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। जिन्होंने रसोई बनाना है, वे रसोई बनाते हैं। जिन्होंने दफ्तर में जाना है, वे दफ्तर जाते है। जिन्होंने जो काम करना है वही काम करते हैं। हालांकि किसी भी परिवार के रसोईघर के दरवाजे पर ऐसा संविधान चिपकाया हुआ नहीं रहता कि यहां पति के अधिकार-कर्तव्य क्या रहेंगे, पत्नी के अधिकार और कर्तव्य क्या रहेंगे, बच्चों के अधिकार और कर्तव्य क्या रहेंगे, तो भी जिन्होंने जो काम करना है वही करते रहते हैं। तो व्यवस्था हर परिवार में होती है। कोई विधिक कांस्टिट्यूशन (संविधान) न होते हुए अपने यहां व्यवस्था है, इसी को कागज पर लिखा है कि यह संविधान है। लेकिन विधान यह हमारा आधार नहीं है, पारिवारिक भावना यह हमारा आधार है। और **जब तक पारिवारिक भावना है तब तक ही कोई संघटन चलता है और बढ़ता है। और जब पारिवारिक भावना खत्म हो जाती है, तो संविधान कितना भी अच्छा रहे, संविधान की एक-एक धारा का उपयोग संस्था को तोड़ने के लिए होता है।** तो पारिवारिक भावना के आधार पर हम लोग चलेंगे ऐसा हम लोगों ने तय किया था और बड़े आनन्द की बात है कि जो नये-नये लोग शामिल हो रहे हैं वे भी इस बात का साक्षात्कार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि एक परिवार के रूप में हम हैं, यह अपनी विशेषता है। यह विशेषता अन्य संस्थाओं में नहीं पायी जाती। वहां तो संस्था का काम बढ़ता जरूर है, संविधान के आधार पर बढ़ता है, पारिवारिक भावना का अभाव रहता है। और उसके कारण आगे जो होना है वही हाल होता है कि संघटन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। हम लोग स्थायी रूप से टिकने वाले हैं, इसका प्रमुख कारण हमारी पारिवारिक भावना है। यह अपनी विशेषता सबको ख्याल में, अनुभव में आ रही है, लोग इसका साक्षात्कार कर रहे हैं।

हम राष्ट्रवादी हैं

राष्ट्र के सम्बन्ध में अपनी विशेषता है कि हम किसानों का संघटन है और किसानों के लिए संघटन है; लेकिन किसानों का, किसानों के लिए होते हुए भी हम पूरे देश के लिए, सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए संघटन हैं क्योंकि हम सब राष्ट्रवादी हैं। किसान हित और राष्ट्रहित एक ही है, ऐसा हम समझते हैं। आप कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है? आपको पता होना चाहिए कि सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के विरोध में जाने वाली बातें भी करने वाले नेता अपने बीच में हैं। जनता का विचार न करते हुए, सारा समाज अपना है, यह विचार न करते हुए वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे नेता भी अपने यहां है। जैसे हमें हमारे माल की कीमत मिलनी चाहिए लाभांश के साथ। उत्पादन खर्चा पूरा निकालकर, राजस्व खर्चा पूरा निकाल कर, उसमें लाभांश जोड़कर हमें कीमत मिलनी चाहिए, यह हमारी भी प्रमुख मांग है। नम्बर एक की मांग तो यही है और उसके लिए चाहे जो संघर्ष करने की हमारी तैयारी है। किन्तु हम लोगों ने कहा है कि **'देश के हम भण्डार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे'**, कीमत पूरी लेंगे, उसके लिए हम सरकार के साथ झगड़ा करेंगे, जो हमारा शोषण करने वाले तत्व हैं, उनके साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन देश के भण्डार भरेंगे, देश को भूखा नहीं रखेंगें।

आपको याद होगा कि आठ साल पहले एक बड़े किसान नेता ने, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, यह प्रचार किया था कि अब किसानों ने अपने पूरी कीमत लेने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मांग करने से सरकार नहीं मानती। नाक दबाने से मुंह खुलता है, अतः नाक दबानी चाहिए। अच्छा विचार है, बात सही है कि जब तक नाक नहीं दबायी जाती, मुंह नहीं खुलता। बोले नाक दबाने के लिए क्या करना चाहिए तो किसानों ने एक साल अनाज पैदा ही नहीं करना चाहिए। एक साल यदि किसान अनाज पैदा ही नहीं करेंगे तो लोग भुखमरी से मर जायेंगे और करोड़ों लोग मर जायेंगे तो सरकार का मुंह खुल जायेगा, अगले साल हमें उचित मूल्य मिल जायेगा। तो अगले साल मूल्य उसके लिए इस समय अनाज पैदा न किया जाये। इस साल लोगों को करोड़ों की संख्या में भूखे मरने दीजिए, फिर हमारी मांग हम पूर्ण कर सकते हैं। माने वह जो कहना है कि हमारी मांगे पूरी हों, चाहे जो मज़बूरी हो, ऐसा हमारा विचार नहीं है।

हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे, उसी के लिए तो यह सारा प्रयास चल रहा है। हम संघर्ष कर रहे हैं, जगह-जगह संघर्ष चल रहा है। यह ठीक है कि गुजरात का संघर्ष बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हर प्रदेश में अपने-अपने हैरिटेज से हम संघर्ष चला रहे हैं। लेकिन हमारी यह दुर्वासना नहीं है, दुर्भावना नहीं है कि लोग भुखमरी से मरेंगे तो मुंह खुल जायेगा। तो फिर हमारे नाक दबाने से हमारी मांगे मान ली जायेंगी। ऐसी दुर्भावना लेकर हम नहीं चलते। सारा समाज हमारा ही है, हमारे ही होंठ और हमारे ही दांत हैं, कौन किसको दोष देगा? और इस दृष्टि से, जिसे हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं, यह राष्ट्रभक्ति

हमारे विचारों में है, हमारी भावना में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे मन में है। तो यह भी एक विशेषता है अपनी। इस कारण चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, ऐसी एक गैर-जिम्मेदार बात किसान संघ का आदमी कभी नहीं करता है। वह संघर्ष करता है, लड़ता है, लेकिन जनता को तकलीफ देने वाली बात, राष्ट्र को नुकसान देने वाली बात वह नहीं करता।

सत्ता को कितना अधिकार ?

फिर एक और विशेषता है। हम कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना अच्छा रहेगा। ऐसा है कि हम उन लोगों में से नहीं है जो समझते हैं कि जो कुछ भी राष्ट्र का कल्याण होगा वह केवल शासकीय सत्ता के माध्यम से होगा, पोलीटीकल पावर के माध्यम से होगा। ऐसा हम नहीं मानते। यदि शासकीय सत्ता को, राज्यकर्ताओं को इतना महत्व रहेगा कि सब कुछ उनके ही द्वारा होगा, तो उनके हाथ में इतना अधिकार देना पड़ेगा कि वे तानाशाह बन सकेंगे। और तानाशाही इस देश में आयी तो फिर तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, हमारी कुछ नहीं तो फिर सारे अधिकार भी सरकार को देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी तो सरकार की है लेकिन अधिकार हमारे। जितनी जिम्मेदारी, उतने अधिकार, और इस नाते से यदि हमने कहा कि सब कुछ सरकार के द्वारा होगा तो सारे अधिकार भी सरकार को देने पड़ेंगे। और यदि सरकार तानाशाही ही लाती है (जैसे उन्नीस सौ पचहत्तर से सतत्तर तक यहां आयी थी आपातकाल, इमरजेन्सी) तो हम सरकार को दोष नहीं दे सकेंगे क्योंकि जिसकी सारी जिम्मेदारी होती है उसीको सारा अधिकार भी होना चाहिए। हम यहां तानाशाही नहीं चाहते।

राष्ट्र-निर्माण का आधार- राष्ट्रीय चेतना

राष्ट्रनिर्माण कैसे होता है? इस संदर्भ में हमारा विचार है कि सर्वसाधारण नागरिक की राष्ट्रीय चेतना के आधार पर राष्ट्र खड़ा होता है। शासन के बल पर नहीं। राष्ट्रीय चेतना से युक्त सर्वसाधारण नागरिक यह राष्ट्र का आधार है। ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्तों के विभिन्न जन-संघटनों, किसानों के संघटन, मजदूरों के संघटन, व्यापारियों के संघटन, दुकानदारों के संघटन, वकीलों के, डाक्टरों के संघटन, ऐसे देशभक्त लोगों के मॉस-आर्गेनाइजेशन, जनसंघटन जिस समय भी खड़े हो जाते हैं, नागरिक देशभक्त हो जाते हैं, उनके जन-संघटन मजबूत हो जाते हैं; उसमें से राष्ट्र का एक नैतिक नेतृत्व खड़ा होता है। जिसको हमारे यहां धर्मदण्ड कहा गया है, वह नेतृत्व खड़ा होता है।

तो जो रचना प्रतीक है वह ऐसी कि सरकार के हाथ में सत्ता रहती है, यह बात सही है। और जो सत्ता में आते हैं उनकी इच्छा रहती है कि हमारी सत्ता का दायरा अखण्ड बढ़ता रहे, ज्यादा से ज्यादा बातें हमारे दायरे में आ जाये और दूसरी उनकी

इच्छा रहती है कि जब तक हम जिन्दा हैं हमारे हाथ में सत्ता रहे, ताकि यदि 'राम नाम सत्य है' की बात आ गयी तो कुर्सी से सीधे श्मशान घाट पर जा सकें। तो इस तरह का सत्ता का गुण है।

सत्ता प्रबल है, हाथी के समान, लेकिन क्या हम हाथी को अनियंत्रित होने देंगे, निरंकुश होने देंगे? हाथी है, बहुत प्रबल है। वह हमारे बगीचे में, आपके जंगल में घूम रहा है, तो क्या हम केवल हाथ पर हाथ धरकर भगवान् से प्रार्थना करेंगे कि भगवान्, इन हाथी साहब का मूड जरा ठीक रखिये, नहीं तो हमारा बगीचा, इनका जंगल खराब हो जायेगा। केवल हाथ पर हाथ धरकर हम बैठने वाले हैं क्या? नहीं। हाथी अगर ठीक-ठीक ढंग से काम करता है तो हम उसको खिलाने-पिलाने वाले हैं। लेकिन हाथी गड़बड़ करने लगता है तो उस पर कुछ नियंत्रण रखने की भी योजना करनी पड़ती है। इस नियंत्रण रखने वाले शस्त्र को कहते हैं अंकुश। यह अंकुश खुद कैसे काम करेगा? तो अंकुश हाथ में पकड़कर हाथी के गण्डस्थल पर महावत बैठता है। अंकुश को यदि दबाया जाता है तो बड़ा हाथी भी चीं-चीं करके नीचे बैठ जाता है। लेकिन महावत हमेशा अंकुश नहीं दबाता। हाथी ठीक ढंग से यदि चलता रहे तो अंकुश नही दबाया जाता। हाथी अगर गड़बड़ करता है तब वह अंकुश दबाकर उसको बिठा देता है। यह जो अंकुश का कांम है, सरकार यदि हाथी है तो अंकुश का काम जन-संघटन करते हैं। इन सब जन-संघटनों में किसानों का जन-संघटन ही सबसे बड़ा जनसंघटन है, क्योंकि किसानों की संख्या सबसे बड़ी है। तो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, उनके जनसंघटन हों। जनसंघटन व्यावसायिक भी होते हैं और गैर व्यावसायिक भी। तो राष्ट्रभक्त लोगों के ये व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक जन-संघटन सत्ता पर अंकुश का काम करते हैं। जब ये दोनों बातें आती हैं तब नैतिक नेतृत्व का निर्माण होता है।

नैतिक नेता नहीं, नैतिक नेतृत्व चाहिए

आप कहेंगे कि तो क्या हमारे देश में कभी नैतिक नेता नहीं रहे? नैतिक नेता हमारे देश में हमेशा रहे लेकिन, नैतिक नेतृत्व का अभाव रहा। दो-चार-पांच नेता रहना अलग बात है और नेतृत्व रहना अलग बात है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं- महात्मा गांधी जी एक नैतिक नेता थे, लेकिन वे नैतिक नेतृत्व का निर्माण नहीं कर सके। मतलब है कि कांग्रेस सत्ता में आ गयी थी, जो कुछ भी हुआ उसमें गांधी जी ही प्रमुख थे, उनके कारण से ही हुआ था, लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद उनके शिष्य उनकी सलाह लेने के लिए भी नहीं आते थे। जो गांधीजी से मिलने जाते थे उन्होंने ऐसा लिखकर रखा है कि गांधीजी शब्दशः आंसू बहाते थे। कल तक जो मेरे शिष्य थे अब सरकार में आने के बाद मेरी सलाह लेने के लिए नहीं आते। क्योंकि उनके मन में जो है उसके विपरीत यदि मैं सलाह दूंगा तो मेरी बात माननी पड़ेगी, अतः मुझको न पूछते हुए ही सारे निर्णय ले लेते हैं। स्पष्ट है, एक बार हुकूमत में आने के बाद उनके शिष्य उनको मानने को तैयार नहीं थे।

१९७७ में चुनाव हुआ। लोगों ने जयप्रकाश नारायण को वोट दिया था। किसी एक पार्टी किसी एक नेता को वोट नहीं दिया था। उनके कारण लोग सत्ता में आये थे। लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद वे बूढ़े आदमी जब पटना में मृत्यु-शय्या पर पड़े थे, दिल्ली में शासक बने किसी मंत्री को फुरसत नहीं थी कि जिनके आशीर्वाद से वे सत्ता में आ गये थे, उनकी तबियत कैसी है, बूढ़ा आदमी कैसा है, जिन्दा है, नहीं है, यह पूछताछ करने की भी किसी को फुरसत नहीं थी। सारे, दिल्ली में बड़े व्यस्त हो गये थे। मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से नेता तो हो सकते हैं, लेकिन नेता का सरकार पर दबाव तब तक नहीं आ सकता जब तक उनके हाथ में अंकुश नहीं है। महावत बैठा है, हाथ में अंकुश नहीं है तो महावत का आदेश क्या हाथी मानेगा? यह जो अंकुश का काम है यह अंकुश का काम जन-संघटनों ने करना है, मॉस आर्गेनाइजेशन ने करना है। इस दृष्टि से नैतिक नेतृत्व यह धर्मदण्ड है। हमारे यहां हमेशा राजदण्ड के ऊपर धर्मदण्ड रहा करता था। तो जिनके हाथ में जनसंघटन रूपी अंकुश है, ऐसे जो समाज के नैतिक नेता है, वे धर्मदण्ड होते हैं। हाथी जब तक ठीक चलता है उसको सहयोग दिया जाता है। हाथी गड़बड़ करने लगेगा तो अंकुश दबाया जायेगा, उसको ठीक किया जायेगा। तो सरकार का पूरी योजना के बारे में जो स्थान है इसके विषय में हमारी यह स्पष्ट धारणा है और इसी कारण हम यह नहीं मानते कि सरकार के हाथ में सारी सत्ता आनी चाहिए और सरकार ही सब कुछ जिम्मेदारी का निर्वाह करे। नहीं, इस दृष्टि से राजनीति के विषय में हमारे विचार दूसरे हैं।

राजनीतिक जागृति का अर्थ

आज लोग ऐसा कहते हैं कि आज देश में राजनीतिक जागृति बहुत आ गयी है। इसका मतलब मैं यही समझता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को राज्यशास्त्र मालूम हुआ है, इसका मतलब इतना ही है कि अस्सी करोड़ में से अस्सी करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। बस इतना ही मतलब है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इतना ही राजनीतिक जागृति का अर्थ है।

किन्तु यह जो सारे बाहर के वातावरण में विषैले कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उसका असर हमारे पर न हो, यह सतर्कता हम बरतते आये हैं। बाहर का वायुमण्डल स्पष्ट है। हरेक नेता बनना चाहता है और हरेक मंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और इसके कारण संघटन बिल्कुल नहीं चल सकता। हर संघटन में दरार आती है। सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं।

आज देश का वायुमण्डल कैसा है? एक जगह पढ़ा था कि एक आदमी समुद्र में जाकर मेंढक पकड़ता था। मेंढक विदेश में, अमेरिका में बड़ी कीमत पर बेचे जाते थे। वह अमेरिका में मेंढक भेजकर बहुत पैसा कमाता था। एक शाम को उसका एक मित्र आया और उससे बोला कि भई देखो, एक लम्बी बात तुमसे करनी है, उसने कहा कि ऐसा करो कि अभी तो मुझे समय नहीं है, तुम सुबह समुद्र के किनारे आ जाओ,

मैं मेंढक पकड़ने के लिए वहां जाता हूं। तो इतने-इतने बजे तुम आ जाओ। मेरा काम इतने बजे खत्म हो जाता है। तब वहां निकट के होटल में जाकर आराम से बातें करेंगे।

दूसरे दिन सुबह वह पहुंचा तो दिखता नहीं था क्योंकि वह समुद्र में काफी अन्दर चला गया था किन्तु दो बड़ी-बड़ी बाल्टियां उसको दिखीं। उसने देखा कि उसमें मेंढक है। फिर मित्र भी आ गया। उसने कहा कि भई, दोनों बाल्टियां तुमने खुली रखीं हैं, इन पर ढक्कन तो लगाना चाहिए था। मैं देख रहा था कि हरेक मेंढक उछल कर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तुम उधर मेंढक पकड़ रहे हो और इधर सब मेंढक बाहर चले गये तो? उसने हंसकर कहा कि यह मेंढक का चक्कर तुमको मालूम नहीं। कोई ढक्कन की आवश्यकता नहीं है। यह मेंढकों का स्वभाव ऐसा है कि कोई एक मेंढक यदि ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बाकी सब मेंढक मिलकर उसकी टांग खींचकर उसको नीचे लाते हैं, अत: मेंढक उछलकर बाहर न जायें इसके लिए हमें ढक्कन रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी मेंढक ही उसकी टांग पकड़कर उसको नीचे लायेंगे। बाहर हमारे देश में यह सारा चल रहा हे।

हम गैर राजनीतिक हैं

अब कुछ चतुर लोग ऐसे हैं कि क्योंकि सीधे राजनीतिक स्पर्द्धा में सामने आने के लिए राजनीतिक दलों में पदाधिकारी बनना पड़ता है और वहां भी तो यही मेंढक का मामला चल रहा है, एक-दूसरे की टांग खींच रहा है, अब वहां जो असफल हो जाते हैं, सोचते हैं कि भई थोड़ा पीछे के दरवाजे से राजनीति में आना चाहिए। सामने के दरवाजे से आना नहीं जमा क्योंकि सब टांग खींच रहे हैं।

पीछे के दरवाजे से आने का रास्ता वे क्या सोचते हैं? वे बड़े बुद्धिमान रहते हैं, बड़े व्यवहार चतुर रहते हैं, वे सोचते हैं किसी न किसी क्षेत्र में काम किया जाये चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, मजदूरों के क्षेत्र में हो। किसी न किसी क्षेत्र में काम करके अपना नाम, प्रभाव, रौब जमाना चाहिए और एक बार अपना नाम हो गया तो अगले चुनाव के समय हम कह सकेंगे कि देखो मेरे से सौदेबाजी करनी पड़ेगी, मेरे इतने वोट हैं, मुझे टिकट दो। माने किसान संघ हो, मजदूर संघ हो, बाकी हो, धार्मिक संस्था हो, वहां थोड़ा काम करके, नाम कमा करके फिर चुनाव के समय सौदेबाजी के लिए उसका उपयोग करना, ऐसी चतुराई बहुत लोग करते आये हैं। अब हम लोगों को इसका पता है। हम लोग राजनीति में नहीं है, इसलिए राजनीतिक को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो यह चतुराई हम किसान संघ में नहीं चलने देते। हम पहले ही कहते हैं कि जिनको प्रधानमंत्री बनना है वे किसान संघ में न आयें। और बहुत रास्ते हैं कि वह वहां से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करे। इसलिए कहा है कि यहां जो पागल है वही आये, जो पागल नहीं हैं, उन्हें हमारे यहां नहीं आना चाहिए। और इस दृष्टि से हम गैर-राजनीतिक हैं।

हम गैर-राजनीतिक हैं, इसका मतलब है कि भारतीय किसान संघ यह किसी

भी राजनीतिक दल के अंग के रूप में नहीं है, स्वतन्त्र है। किसानों का किसानों ने चलाया हुआ संघटन है। अब कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या इसका मतलब यह है कि आप सब किसानों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं। व्यक्तिगत रूप से हरेक किसान जैसा किसान है वैसा ही वह नागरिक है। हरेक नागरिक को अधिकार है राजनीति में काम करने का। तो जैसे हरेक नागरिक को अधिकार है, वैसे ही हरेक किसान को भी अधिकार है। अब किसान नागरिक के नाते चाहे जिस राजनीतिक दल में काम कर सकता हे। उसकी मरजी का सवाल है। उसके इस अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता।

राजनीति को दूर रखकर आइये

लेकिन अपना कहना इतना है कि व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ भी राजनीतिक कार्य करे, लेकिन जब किसानों का कार्य करने के लिए आता है तब अपना यह सारा राजनीतिक खेल बाहर रखते हुए केवल किसानों के नाते, किसान संघ के नाते यहां आना चाहिए, सारी अपनी राजनीतिक बातें छोड़कर यहां आना चाहिए। इस दृष्टि से जो अन्तर है वह थोड़ा समझ लीजिए। व्यक्तिगत रूप से चाहे जिस पार्टी का काम आप कर सकते हैं, किन्तु किसान संघ के नाते जब हम इकठ्ठा आते हैं तो वहां उसमें राजनीति नहीं रहनी चाहिए, माने किसाने संघ ने राजनीति में नहीं जाना चाहिए और राजनीति को किसान संघ में घुसने नहीं देना चाहिए।

इसके लिए हम हमेशा उदाहरण देते आये हैं कि हमारे देश में संविधान है, कानून है, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने अपने पैर में क्या पहनना चाहिए, इस बारे कोई संविधान है क्या? इस बारे में कोई कानून है क्या? आपकी मरजी हो वह आप पहन सकते हैं। गांव के चर्मकार का बनाया हुआ जूता पहन सकते हैं। चप्पल पहन सकते हैं। या बाटा साहब ने खास आपके लिए जो पांच सौ साढ़े तीन रूपये का बूट बनाया है वह भी आप पहन सकते हैं। आपने बूट पहनना है या जूता पहनना है, इसके बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, आप चाहे जो पहन सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी इच्छा से जो चाहे वह पहनकर आप यदि हमारे मंदिर में प्रवेश करते हैं, करना चाहते हैं तो मंदिर के लोगों का यह अधिकार है कहने का कि साहब आप जूता पहनिये, चप्पल पहनिये, बूट पहनिये, कोई आपत्ति नहीं, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन जब मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं तो मंदिर के प्रवेशद्वार पर ही अपने-अपने बूट, अपने-अपने जूते, अपनी-अपनी चप्पल बाहर रख दीजिए, नंगे पैर अंदर आइये भगवान का दर्शन कर लीजिए और दर्शन कर वापस आने के बाद अपने-अपने चप्पल, जूते, बूट आप पहन लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहां ये जूते, चप्पल नहीं चलेंगे। उन्हें बाहर रखकर नंगे पैर अन्दर आना होगा।

वैसा ही भारतीय किसान संघ का कहना है कि नागरिक के नाते किसी को भी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी में काम करने का व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत रूप

से कोई किसी दल में कामकर सकता है। लेकिन जब हम भारतीय किसान संघ के मंदिर में प्रवेश करते हैं किसानों का काम करने के लिए, तो उस समय अपने-अपने राजनीतिक जूते, राजनीतिक चप्पलें, राजनीतिक बूट, ये सारे बाहर रखकर यहां किसान के नाते नंगे पैर आना है। केवल किसान के नाते यहां सोचना है। फिर वापस जाते समय फिर अपने-अपने बूट-चप्पल जूते, (राजनीति के) पहन लीजिए। फिर चाहे जो जूतम-पैजार बाहर आप कर सकते हैं। किन्तु यहां वह सारा नहीं होना चाहिए। तो संघटन के नाते हम गैर-राजनीतिक रहें, व्यक्तिगत रूप से हरेक को चाहे जिस पार्टी का काम करने का अधिकार है।

कार्यकर्ता के लिए परहेज

लेकिन एक बात, नागरिक के नाते चाहे जिस पार्टी का काम करने का हरेक को अधिकार है, यह सिद्धान्ततः ठीक है, किन्तु भारतीय किसान संघ को किसान संघटन के नाते राजनीति के बाहर रखा गया है, तो एक बात आवश्यक हो जाती है कि एक परहेज का, पथ्य का पालन करना पड़ेगा। सब लोगों को राजनीति में काम करने का अधिकार है। लेकिन विशेष रूप से जो भारतीय किसान संघ के नाते जाने जाते हैं, हर जगह से ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, होने वाले है कि जो भारतीय किसान संघ के नाते पहचाने जाते हैं। ये कौन हैं ? ये भारतीय किसान संघ हैं। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं या जो भारतीय किसान संघ के नाते ही जाने जाते हैं, ऐसे लोग एक तो किसी राजनीतिक दल में पदाधिकारी न बनें। ऐसा न हो कि राजनीतिक दल में भी पदाधिकारी हैं और यहां भी पदाधिकारी हैं। और आजकल तो यह फैशन हो गयी है कि जितनी ज्यादा जगह प्रेसीडेन्ट और जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं; वे हर जगह बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं। जो भारतीय किसान संघ में पदाधिकारी है वह किसी राजनीतिक दल में पदाधिकारी नहीं रह सकेगा, जो वहां पदाधिकारी है वह यहां पदाधिकारी नहीं रहेगा। यह एक बात है। दूसरी बात है कि वह किसी भी राजनीतिक मंच से भाषणबाजी नहीं करेगा और तीसरी कि राजनीति के नाते वह चुनाव नहीं लड़ेगा।

कुछ व्यवहार-चतुर, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हमने कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे तब तो राजनीतिक हो गये कि नहीं ? बोले कि मैं वहां जाकर असेम्बली में जाकर किसानों का काम करूंगा, पार्लियामेंट में जाकर किसानों का काम करूंगा। हमने कहा, बेटा जब किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, वह किसानों का कल्याण नहीं कर सका (नाम लेने की आवश्यकता नहीं) तो तुम एम.एल.ए., एम.पी. बनकर कल्याण करोगे ? पूछा कि तो आपके काम कैसे होंगे ? हमने कहा कि हमारी ताकत होगी तो सभी दल के लोग हमारे पास आ जायेंगे। चाहे वे एम.एल.ए. हो, एम.पी. हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, हमारी ताकत रहेगी तो सब हमारा काम करने के लिए आयेंगे। और हमारी ताकत नहीं रहेगी तो हमारा लड़का भी मंत्री बनेगा, वह हमको पूछेगा नहीं। सब हमारी ताकत पर अवलंबित है। हम सभी से काम ले सकते हैं। हमने जो यह सख्त नियम बनाया तो लोगों को

बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा यह सब के लिए नियम लागू नहीं है। हां जो पदाधिकारी हो, या प्रमुख कार्यकर्ता हो, उसके लिए यह नियम है कि वह किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी न रहे, राजनीतिक मंच पर भाषण न दे और इलेक्शन के लिए खड़ा न हो।

जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनकी भी बुद्धिमानी के नतीजे हमने देखे हैं। वे कहते हैं, ठेंगड़ी जी, मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मै तो चाहता ही नहीं हूं, मैं तो समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन क्या करें? हमारे सामने दस हजार लोगों ने धरना ही दे दिया कि साब आपको चुनाव में खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे। इन लोगों की बात माननी पड़ी। वास्तव में ऐसा होता है कि इच्छा इसकी स्वयं की रहती है और सब कुछ बहानेबाजी है। हमने कहा कि तुमको खड़े होना है, खड़े हो जाओ। जो तुम्हारे साथी रहे हैं, वे तुम्हारे ही वोटर रहेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा काम भी वे करेंगे, वोटर के नाते वे कर भी सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए। यह एक चतुराई नहीं चलेगी कि चुनकर आ गये तो एम.एल.ए. हो गये और हार गये तो लीडरी कायम ही है। चुनकर आ गये तो एमएलए हो गये और नहीं तो किसान नेता के रूप में अपना रौब कस रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जाना होगा तो फिर उधर जाओ, फिर इधर मत आओ, तुम्हारे लिए प्रवेश बन्द हो जायेगा। हां, सामान्य किसान और कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हो, तुमको प्रमुख पद नहीं दिया जायेगा।

पहले पहले लोगों ने सोचा कि शायद ये बोल तो रहे हैं, लेकिन अमल में लाना कठिन होगा। **हमने कहा किसान संघ टूट गया तो भी चलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि खराब लड़का होने से लड़का न होना अच्छा है। तुम्हारे जैसे तिकड़मबाज चतुर पुरुष को नेता बनाने के बजाय हम किसान संघ को डिजोल्व कर देंगे, अबोलिश कर देंगे, खतम कर देंगे। खराब संस्था हम नहीं चाहते। होगी तो अच्छी संस्था खड़ी करेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे। यह गाजर की पूंगी है, जब तक बजती है बजायेंगे, नहीं बजती है तो उसको तोड़ देंगे। लेकिन खराब संस्था हम नहीं बढ़ायेंगे।**

जब कई उदाहरण हुए कि लोग खड़े हो गये, हमने कहा कि भई, ऐसा ऐसा नियम है। उन्होंने सोचा कि अभी तो ठेंगड़ी जी नियम बता रहे हैं। अब जब मान लीजिए कि हार भी गये, तो फिर आ जायेंगे, तो ठेंगड़ी जी मान ही लेंगे, आखिर प्यार है। हमने कहा प्यार जरूर है। तुमको खिलायेंगे, पिलायेंगे। लेकिन किसान संघ को खराब बनाने वाली तुम्हारी जो मिसाल है, तुम्हारा जो उदाहरण है, उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। अब तुमको किसान संघ में पदाधिकार नहीं मिलेगा। यहां तुमको प्रमुख स्थान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ सख्ती का व्यवहार रखा। माने उधर पदाधिकारी न बनना, राजनीतिक मंच पर न जाना, इलेक्शन के लिए खड़ा न होना और खड़ा हो गया तो फिर इधर न रहना। हमने कहा कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री तक बनने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान संघ में आकर वायुमण्डल दूषित मत करो।

कथनी-करनी में भेद न हो

तो यह सख्ती का व्यवहार उन लोगों के बारे में है जो आज आइडेंटिफाइड हैं, जो किसान संघ के नाते ही पहचाने जाते हैं; पदाधिकारी रहने वाले भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पदाधिकारी नहीं है तो भी लोग उन्हें किसान संघ में ही समझते हैं। ऐसे सब लोगों ने इस पथ्य का पालन करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मचर्य के पालन करने की आवश्यकता है। सब लोगों के लिए यह नियम नहीं है। बाकी जो सर्वसाधारण किसान हमारे सदस्य हैं, वे चाहे जिस पार्टी का काम कर सकते हैं, कोई बन्धन नहीं कि एक ही पार्टी का काम करना चाहिए। लेकिन प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए यह परहेज रखना आवश्यक है। नहीं तो एक तरफ तो हम कहेंगे कि हम गैर-राजनीतिक है और दूसरी तरफ लोग देखेंगे कि ये तो सारा राजनीतिक ही कर रहे हैं। कथनी-करनी में भेद न हो।

आज वैसे ही लोगों का विश्वास नेताओं पर, संस्थाओं पर बहुत कम हो गया है, यह आप ध्यान में रखिए। कई बार जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि साब हम लोगों में जाते हैं, बातें अच्छी-अच्छी करते हैं, लेकिन क्या करें, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास नहीं। लोग भारतीय किसान संघ पर विश्वास नहीं रखते, ऐसा जब लोग कहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि तुम अर्धसत्य बोल रहे हो, पूरा सत्य नहीं बोल रहे हो। तुम जो बता रहे हो कि तुम्हारे पर और भारतीय किसान संघ पर लोगों का विश्वास नहीं है, यह आधा सच है, पूरा नहीं है। तो बोले कि पूरा सच क्या है? हमने कहा, पूरा सच ऐसा है कि चालीस-पचास साल तक नेताओं का और संस्थाओं का लोगों ने जो अनुभव लिया है उसके कारण अब उनका किसी पर भी विश्वास नहीं रहा।

पहले जब नेताजी कहते थे तो बड़ा सम्मान माना जाता था। लेकिन कल मैं जा रहा था, अपने कुछ लोगों ने कहा नेताजी हमारा प्रणाम, हमको ऐसा लगा कि जैसे कोई गाली मिल रही है। आज नेताजी एक गाली हो गयी है। आपको पता है। गांव वाले जब 'नेताजी' कहते हैं तो बड़े तुच्छता के भाव से कहते हैं। अब किसानों के पास, जनता के पास, दस बार ये नेता लोग गये। जब गये तो इन्होंने अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी बातें की। आज जो बातें कर रहे हैं उससे भी अधिक मीठी बातें उन्होंने की। और हर समय लोगों को अनुभव आया कि वोट या नोट लेने का जब मौका आता है तब तो हमारे पास आकर अच्छे-अच्छे लच्छेदार भाषण देते हैं और जब वोट और नोट लेकर चले जाते हैं तो फिर से हमारा मुंह देखने के लिए नेताजी दुबारा आते नहीं।

कहावत है कि गरम दूध से जिसके होंठ जल गये हैं वह छाछ भी फूंककर पीता है। अब लोगों के होंठ दस बार जल गये हैं। उन्होंने ऐसे कई नेताओं को देखा जो बहुत अच्छी बातें करते थे, लोग तालियां बजाते थे। बाद में देखा कि ये सब सस्पेन्स है। ये कोई वास्तव में अपना काम करने वाले नहीं। दस बार जब लोगों को छकाया

गया और ग्यारहवीं बार में आप जा रहे हो और लोगों को आप कुछ कहते हो तो लोग आप पर क्यों विश्वास करेंगे? तो कहावत के अनुसार ही लोग आप पर विश्वास नहीं करते क्यों कि दस बार उनको छकाया गया है। इस कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसकी आवश्कता है कि हमारी कथनी-करनीं में अन्तर नहीं होना चाहिए। कथनी-करनी में अन्तर आयेगा तो आप पर कोई विश्वास नहीं रखेगा। और इस दृष्टि से यह जो परहेज है राजनीति के बारे में, उसका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

संस्थागत अभिमान नहीं

हमने एक बात और कही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि साब किसान क्षेत्र में काम करने वाले केवल हम ही हैं और कोई नहीं। हमने कहा कि बहुत दशकों से लोग काम कर रहे हैं, उनके सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। बहुतों को संस्था का अभिमान रहता है कि हम ही हैं और कोई नहीं। ऐसी अपनी बात नहीं है। हम समझते हैं कि जिन-जिनने किसानों के लिए अब तक काम किया वे सब हमारे लिए वन्दनीय हैं, आदरणीय है। बिल्कुल पुरानी शताब्दी से भी लिया तो और इस शताब्दी में भी आप देखेंगे कि किसानों के लिए जिनके मन में पीड़ा थी, दुःख-दर्द था, ऐसे कितने लोग हो गये। उन्होंने कितना ही काम किया। माने सबका नाम लेना सम्भव नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि पूर्वांचल के बिरसा भगवान से लेकर तो पश्चिमांचल के उमाजी नायक, ऐसे कितने ही लोग हो गये, जिन्होंने शस्त्र हाथ में लेकर, किसानों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए काम किया, सब हमारे लिए वन्दनीय है। संविधानिक ढंग से, आज के ढंग से आधुनिक पद्धति से जिन्होंने काम खड़े किये, स्वामी सहजानन्द जी हैं, प्राध्यापक एन.जी रंगा हैं, सबके बारे में हमारे मन में श्रद्धा है। याने हमारी यह भूमिका है। आज भी जो बाकी काम कर रहे हैं हम सबसे यही कहते हैं कि भई, आप बड़े-बड़े काम करते हैं, पर हमें आपस में स्पर्द्धा करने की आवश्यकता नहीं है। किसान क्षेत्र इतना बड़ा है कि और भी कितने ही संघटन आ जाते हैं और कितने ही नेता और आ जाते हैं तो भी किसान क्षेत्र का यह महासागर है, उसके किनारे को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। और दस-पांच हजार संघटन आ जायें, दस-पांच हजार नेता आ जायें, हम सबका स्वागत करते हैं। परस्पर सहयोग से हम काम करें।

जहां जितना सहयोग हो सकता है हम करें। स्पर्द्धा की, कम्पीटीशन की आवश्यकता क्या है? जहां सत्ता का सवाल नहीं है, वहां स्पर्द्धा की, कम्पीटीशन की आवश्यकता क्या है? सभी के सहयोग से हम काम कर रहे हैं, यही हमारी वृत्ति रही है। अभी तक इसी वृत्ति से अलग-अलग लोगों का हम सहयोग भी करते रहे हैं। केवल बोला है ऐसा ही नहीं तो प्रत्यक्ष सहयोग भी अलग-अलग संस्थाओं और नेताओं का हमने किया है।

हम लोगों ने यह कहा है कि हम विशुद्ध हेतु को लेकर काम कर रहे हैं। सत्य संकल्प का दाता भगवान होता है। हमारा संकल्प यदि सत्य होगा, भगवान हमें सहायता देगा। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता-संकल्प का हार इतना अच्छा नहीं है। जहां जहां उचित था, हमने अन्य लोगों के साथ सहयोग किया और बाद में भी करेंगे। उनके हेतु कुछ भी रहे, लेकिन यदि ऐसा लगा कि मांगें ठीक हैं, ठीक ढंग से आन्दोलन चल रहा है, हम जरूर बाकी लोगों का सहयोग करेंगे।

लेकिन बाकी जो बाहर हमने देखा, उससे बड़ा दुःख हुआ। भगवान सूर्यनारायण ने ऊपर आना चाहिए, यह तो सबने कहा, याने सबका ध्येय एक है, यह माना जा सकता है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग ज्यादा मिले कि मेरा मुर्गा बांग देगा तब तो सूर्यनारायण ने ऊपर आना चाहिए और मेरा मुर्गा जब तक बांग नहीं देता तब तक सूर्य नारायण ने ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग बाहर बहुत ज्यादा मिले। माने काम हो यह वृत्ति नहीं है तो काम हो उसका क्रेडिट, श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मेरा नाम रोशन होना चाहिए, इस तरह की वृत्ति हम बाहर देखते हैं। ऐसे सभी नेताओं और संस्थाओं को हम कहते हैं कि महाराज यह वृत्ति छोड़ दीजिए। हम सबने मिलकर राष्ट्र को ऊंचा करना है, किसान का कल्याण करना है। आप अलग-अलग काम करिये इसमें आपत्ति नहीं; किन्तु आपका सत्य-संकल्प होना चाहिए। 'राष्ट्रहित के चौखट के अन्तर्गत किसानों का हित', इतना ही यदि सबका ध्येय रहा तो आपस में कंपीटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परस्पर सहयोग हो सकता है।

संघटन के विकास और ह्रास का कारण

संघटन कैसे बढ़ते हैं और संघटन कैसे नीचे जाते हैं? यह एक प्रश्न एक श्रेष्ठ पुरुष से पूछा गया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक छोटे कार्यकर्ता के नाते वह वार्तालाप सुनने के लिए वहां उपस्थित था। एक श्रेष्ठ विचारक एवं संघटक डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पुराने वृद्ध कार्यकर्ता ने पूछा कि "हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि कई संस्थाएं निर्माण हुई, ऊपर आ गई पर नीचे भी गई। तो संस्थाएं ऊपर कैसे आती है, नीचे कैसे जाती हैं? संस्थाओं की ताकत बढ़ती कैसे है? संस्थाएं खत्म कैसे होती हैं? इसके कुछ नियम हैं क्या?"

बाबा साहब ने कहा कि जहां 'उपेक्षा भाव' है वहां काम बढ़ता ही रहता है और जहां उपेक्षा भाव नहीं है, वहां काम नीचे जाता है। सब को लगा कि यह उल्टी बात कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता और यह कहना कि जहां उदासीनता है वहां काम बढ़ेगा और जहां उदासीनता नहीं है वहां काम घट जायेगा, यह तो उलटी बात दिखाई देती है।

लेकिन बाबा साहब समझ गये थे। जब बोला था तभी समझ गये थे कि लोगों

को यह अटपटा लगेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं यह मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैंने यह शब्द रचना गलती से नहीं, समझ-बूझ कर की है। आपने मुझे जो यह पूछा, वह छह हजार वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध से पूछा गया था। यहां उपेक्षा शब्द तांत्रिक अर्थ (टेक्नीकल सेन्स) में है। उन्होंने कहा उपेक्षा याने सर्वसाधारण रूप से उदासीनता, इस अर्थ में भगवान् बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक विशेष तांत्रिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया।

उपेक्षा का तांत्रिक अर्थ क्या है? बाबा साहब ने कहा कि कोई भी नया काम शुरू होता है तो पहले लोग उधर उदासीन रहते हैं, देखते ही नहीं। यह काम करने वाला कार्यकर्ता जैसे-तैसे कुछ लोगों को उसमें रुचि पैदा करवाता है, इन्टरस्टेड कर लेता है, याने थोड़ा सा काम शुरू हो जाता है तो जब थोड़ा सा काम ऊपर आता है तो बाकी लोग उसका उपहास करते हैं, अरे ये नये मुल्ला हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनको क्या पता है, आदि। फिर भी यह कार्यकर्ता निष्ठा के साथ काम करता है तो और काम बढ़ता है। जब काम और बढ़ता है, वह लोगों की आंखों में आता है, तो फिर इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। अब विरोध की अवस्था में कई लोग निराश होकर काम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता और भी हिम्मत के साथ, जिद के साथ काम करते रहते हैं तो फिर वे लोग विरोध पर मात करते हुए और आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें सामने यश का शिखर दिखाई देता है। अब यह कार्य यशस्वी होगा ऐसा आभास होने लगता है। ऐसे आसार दिखाई देते हैं कि अब यह कार्य यशस्विता के शिखर पर जाने वाला है।

वे बोले कि ऐसा जब समय आता है उस समय कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन होने की संभावना है। वे ही कार्यकर्ता जिन्होंने त्याग किया है, कष्ट किया है, विरोध के बावजूद काम किया है, इतने अच्छे कार्यकर्ता, लेकिन उनमें से कई लोगों के मन में गड़बड़ होती है। जब दिखता है कि अब यश का शिखर सामने हैं, अब यह कार्य यशस्वी होने वाला है फिर वहां 'क्राइसिस ऑफ क्रेडिट बियरिंग', शुरू होता है। अर्थात् यह जो इतना यशस्वी कार्य हुआ है उसका श्रेय मुझे कितना है यह बढ़ा-बढ़ाकर बताना इसकी होड़, स्पर्धा शुरू हो जाती है, एक रेस शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा श्रेय मेरा है, यह बताने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं। ऐसे समय जब यश का शिखर दिख रहा है, अब यह काम यशस्वी होगा ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसे समय बाकी और लोग मैंने कितना काम किया, मेरा श्रेय कितना है, यह बढ़ा-बढ़ा कर दिखाने की स्पर्धा में आ रहे हों, सारे लोग श्रेय की स्पर्धा में दौड़ लगा रहे हों, उस समय जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पायोनीयर हैं, वे भी यदि श्रेय की स्पर्धा में दौड़ने लगेंगे तो संस्था चलेगी नहीं। उस समय प्रमुख कार्यकर्ताओं के मन में मुझे कितना श्रेय, क्रेडिट मिल रहा है, इसके विषय में उपेक्षा भाव होना चाहिए।

यह उपेक्षा शब्द का भगवान् बुद्ध का अर्थ था कि जब यश का शिखर दिखता है उस समय और बाकी सारे लोग जब अपना श्रेय कितना है इसके लिए दौड़ लगा रहे हों उस समय प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्ताओं ने क्रेडिट (श्रेय) के बारे में, अपने नाम के बारे में यदि उपेक्षावृत्ति रखी, तब तो वह काम, वह संस्था चलेगी। लेकिन बाकी लोगों के साथ प्रमुख कार्यकर्ता भी यदि उसी दौड़ में दौड़ने लग लगते हैं कि मेरा श्रेय कितना ज्यादा है तो संस्था ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। यह कितनी गहराई की बात है आप जरा सोचें। तो जिन्होंने काम को यशस्वी करना है उनके मन में केवल काम के ही बारे में यश की इच्छा है, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पोजीशन ऐसा नहीं, तो ध्येय केवल कार्य ही रहे, तब तो वह कार्य यशस्वी होता ही है और जब मैं का विचार आता है, कार्य यशस्वी नहीं हो सकता।

आजकल बाहर के वायुमण्डल में 'मैं' का वायुमण्डल है। हरके अपने को ही बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हमारे जैसे लोग हैं कि भई हमारा ही नाम पेपर में आना चाहिए ऐसा नहीं है तो किसी और का आने दीजिए, तो लोग कहते हैं कि इसको व्यवहार समझता नहीं है, यह बुद्धिमान नहीं है। माने मेरा नाम हो, मेरी पोजीशन हो, तो जहां 'मैं' का विचार हरेक आदमी करता है उस बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है:

सर्वे यत्र प्रणेतारः सर्वे पण्डित मानिनः।
सर्वे महत्वमिच्छन्ति राष्ट्रं तं तत्व विनश्यति।।

जहां सब नेता ही नेता हैं; हरेक आदमी नेता है, जहां सब लोग खुद को बड़ा पंडित समझते हैं, सभी लोग अपना ही महत्व चाहते हैं, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। आज बाहर के वायुमण्डल में ये बैक्टिरिया बहुत ज्यादा हैं कि देश का कुछ भी हो, देश चूल्हे में जाये, देश रहे, न रहे, लेकिन मेरा नाम, मेरी पब्लिसिटी हो। यह आप बाहर के वायुमण्डल में देखते हैं। इससे काम बढ़ नहीं सकता। इससे संघटन नहीं बढ़ सकता।

बार-बार आन्दोलन क्यों करना पड़ता है?

हमारा तो आधार ही संघटन है। हमने जब भारतीय किसान संघ शुरू किया उस समय भी बड़ा बारीकी से विचार हुआ। किसानों का काम करने वाले और नेता नहीं हैं क्या? और संस्थाएं हैं कि नहीं? क्या वे कुछ काम नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं। किन्तु उस समय बारीकी से विचार हुआ कि इतना सारा जो हो रहा है कि हर साल किसानों को आन्दोलन करना पड़ता है। आज बिजली के लिए किया, कल पानी के लिए किया, परसों कर्जे के लिए किया। अब इस देश में लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र में जो बहुसंख्य है उन्हीं की चलनी चाहिए और किसानों की तो सबसे बड़ी संख्या है। किसानों की बात यहां मानी नहीं जाती। लोकतन्त्र में बहुसंख्य किसान हैं, उनकी बात

मानी नहीं जाती और हर साल किसी न किसी बात को लेकर किसान को आन्दोलन करना पड़ता है। यह क्यों चल रहा है? आन्दोलन की आवश्यकता है क्या? बहुसंख्यों को भी आन्दोलन की आवश्यकता है? लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है कि हर साल किसी न किसी बात को लेकर रास्ते पर आना पड़ता है। तो क्या जिन्दगी भर हम यही करते रहेंगे? सोचा गया कि इसका बारीकी से विचार होना चाहिए।

तो ऐसा पता चला कि किसानों का जो शोषण करना चाहते हैं, चाहे वह सरकार हो, चाहे बिचौलिये हों, ये जो शोषण करना चाहते हैं वे भली भांति जानते हैं कि हमारा किसान हमेशा सोया हुआ रहता है। अब सोते-सोते यदि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो वह उठकर डाक्टर के पास जाना चाहता है और मामूली हुआ तो सोचता है कि सुबह उठकर जायेंगे, फिर सो जाता है। वैसे किसान जाग्रत नहीं हैं, संघर्षरत नहीं है, हमेशा सोया हुआ है। लेकिन कोई पेट में बिजली का दर्द शुरू हो जाता है, तो कहीं पानी का शुरू हो जाता है, कहीं कर्जे का दर्द शुरू हो जाता है, और वह भी बर्दाश्त के बाहर कोई दर्द शुरू होता है, तब वह बिस्तर छोड़ता है, नहीं तो वह बिस्तर और रजाई छोड़ने को तैयार नहीं। फिर वह डाक्टर के पास जाता है।

वैसे ही जब कोई समस्या बहुत गहरी हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है तब तो किसान रास्ते पर आता है और आने के बाद लाखों की संख्या में आता है, लाखों के सारे आन्दोलन होते हैं। अब आन्दोलन कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। यह तो चलते रहता है। कोई भी आन्दोलन कभी सफल होगा, कभी असफल। हालांकि भारतीय किसान संघ के लिए यह एक श्रेय देने वाली बात है कि हमारे सब आन्दोलन सफल रहे हैं अब तक। इतने और किसी के नहीं रहे। तो भी आन्दोलन में कभी सफलता, असफलता आ सकती है।

आन्दोलन सफल हो या न हो, आन्दोलन कभी न कभी खतम होता ही है। और किसानों के दुश्मनों ने और सरकार ने यह देख लिया है कि आन्दोलन के समय लाखों लोग रास्ते पर आ जायेंगे, फिर जैसे ही आन्दोलन खतम होता है, सफल या असफल, फिर किसान वापस घर लौटता है, दुबारा नींद में डूब जाता है। फिर वह जाग्रत नहीं रहता है। मानों यह जो लाखों लोगों की संख्या ऐसी है जैसे कि रात में आसमान में लाखों सितारे आ जाते हैं, लगता है कि कितनी बड़ी ताकत है, सुबह देखेंगे तो कुछ नहीं दिखायी देता। वैसे जब आन्दोलन चलता है तो लगता है कि क्या किसानों की शक्ति है! आन्दोलन खतम होने के बाद सुबह हो जाती है। सारे सितारे गायब हो जाते हैं। किसान बड़े आराम से फिर से नींद में सो जाता है। यह सब जानते हैं। इसलिए किसानों के बारे में किसी के मन में भय नहीं है, सरकार भी डरती नहीं है, बिचौलिये भी डरते नहीं है। वे इतना अच्छी तरह जानते हैं कि यदि बहुत ज्यादा किसानों ने आन्दोलन

किया तो चार टुकड़े डाल देंगे। उसमें वे खुश हो जायेंगे, घर वापस जायेंगे, फिर से सो जायेंगे और फिर से पहले की जैसी ही शोषण की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये कुछ करने वाले नहीं, वे यह जानते हैं।

अब इतने आन्दोलन होने के बाद फिर से हमको बार-बार आन्दोलन क्यों करने पड़ते हैं? इसका सारा मामला ऐसा सोचा कि मूल कारण यह है कि किसान जाग्रत नहीं है, संघटित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है और इसके कारण यह शोषण अखण्ड चलता है।

अब तक किसानों को जाग्रत करने का प्रयास नहीं हुआ, प्रशिक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया, संघटित करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। अभी तक के प्रयास कैसे रहे कि बहुत ज्यादा अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वे रास्ते पर आ जाते हैं। कोई न कोई मसीहा सामने आता है। मसीहा का करिश्मा बढ़ाया जाता है। यही भगवान् है, यही देवता है, यही हमारा त्राता है, ऐसा बताया जाता है। उसके नाम पर लाखों लोग रास्ते पर आते हैं। आन्दोलन खतम होने के बाद फिर किसान सो जाता है। यह जो संघटन का अभाव है, जागृति का अभाव है, यह मूल कारण है, इसके कारण बार-बार आन्दोलन करने पड़ते हैं।

किसान-कल्याण का स्थायी मार्ग

तो किसानों के कल्याण का स्थायी मार्ग कौन सा है? स्थायी मार्ग यही है कि हर किसान जाग्रत हो, हर किसान अपनी समस्याओं के बारे में प्रशिक्षित हो, हर किसान अपना नेतृत्व कर सके ऐसी योग्यता का निर्माण करे। ऐसे जाग्रत, प्रशिक्षित, योग्यतावान् किसानों का संघटन हो, हर स्तर पर संघटन हो। ऐसे जो जाग्रत-प्रशिक्षित किसान हैं, वे हर स्तर पर बार-बार एकत्रित आ जायें, ग्राम पंचायत के स्तर पर, विकास खण्ड के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। बार-बार हर स्तर पर ऐसे जाग्रत, प्रशिक्षित किसान एकत्रित आ जायें। परस्पर विचार-विमर्श करें कि अब तक क्या हुआ? क्या समस्याऐं हैं, क्या रास्ता निकाला जा सकता है। बाहर के किसी मसीहा की आवश्यकता नहीं है। यह तो बात ही बिल्कुल गलत है कि एक मसीहा या पांच मसीहा के आधार पर करोंड़ों किसान अपनी जिन्दगी बसर करें। यह कल्पना ही हास्यास्पद है।

अपने हिन्दुस्तान में राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी गलत प्रथा आ गयी है। लोग संघटन की तकलीफ नहीं उठाना चाहते। क्योंकि संघटन करने में तकलीफ पड़ती है। ये सोचते हैं, आसान रास्ता है, किसी आदमी का करिश्मा बढ़ाया जाये कि हमारे ठेंगड़ी जी हैं, बड़े श्रेष्ठ नेता हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठेंगड़ी जी का करिश्मा बढ़ाओ, इमेज बिल्डिंग माने प्रतिमा निर्माण करो तो फिर संघटन की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति का जय-जयकार बोलने से लाखों-करोंड़ों लोग एकत्रित हो जायेंगे। संघटन की तकलीफ उठानी

नहीं पड़ेगी। काम बन जायेगा। अरे ये कितना बड़ा धोखा है? एक आदमी? एक आदमी को आप नेता बनायेंगे? वह भी मनुष्य है न, देवता तो नहीं। बहुत अच्छा भी होगा तो भी विश्वामित्र भी अच्छे थे। कितने श्रेष्ठ ऋषि थे! कितनी तपश्चर्या की थी! लेकिन मेनका सामने आने के बाद फिसल गये। वैसे जब कोई मेनका सामने आये तो यह फिसलने वाला नहीं है, यह गारण्टी कैसे दे सकते हैं? यह विश्वामित्र से श्रेष्ठ है, इसकी क्या गारन्टी हो सकती है? और हमने किसी को बहुत बड़ा किया और वह भी यदि फिसल जाता है तो करोड़ों किसानों का क्या होगा? मान लीजिए वह फिसल नहीं गया। बीमार हो गया, तब क्या होगा? नेताजी बीमार भी हो सकते है। फिर नेता का 'राम नाम सत्य है' भी हो सकता है। और यह सारा हो गया तो क्या करोड़ों किसान केवल आकाश ओर देखते रहेंगे कि साब हमारा नेता चला गया। अब हमें कौन बचायेगा? इस असहाय, विवश, बेबस अवस्था में किसान रहेगा क्या? गलत बात है।

करोड़ों किसान एक नेता पर, पांच नेता पर, पचास नेता के आधार पर नहीं चल सकते। तो हर किसान अब हमारा नेता है। हर किसान के अन्दर यह योग्यता पैदा करनी चाहिए कि वह जाग्रत रहे, प्रशिक्षित रहे, अपने से सम्बन्धित बातों को समझ सके। फिर ऐसे लोग एकत्रित आकर चर्चा करें, परस्पर विचार-विमर्श कर करें। बार-बार सामूहिक विचार होना चाहिए। व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं तो सामूहिक नेतृत्व खड़ा हो। इसी में से संघटन खड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाहर व्यक्ति को बड़ा बनाने का ही काम चलता है, यहां यह नहीं चलता। प्रारंभ से हम लोगों ने कहा कि भई देखो बाहर की पद्धतियां हैं - नेता के नाम पर जय-जयकार करना, नेता का नाम अखबार में आता जाये, आदि। पर अपने यहां ऐसा है कि किसी नेता की, किसी भी व्यक्ति की जय-जयकार नहीं तो किसी व्यक्ति का करिश्मा बढ़ाने की बजाय संघटन बढ़ाना।

विजय का आधार संघटन शक्ति

अपनी अनेकानेक समस्याओं के लिए शोषण करने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लड़ाई में विजय होनी चाहिए। यह इस पर निर्भर है कि हमारी ताकत कितनी है? तो ताकत बढ़ानी चाहिए। और ताकत कैसे बढ़ेगी? हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी जितना हमारा संघटन मजबूत होगा। तो संघटन मजबूत होना यह हमारी जिम्मेदारी है, यह ध्यान में रखना चाहिए। संघटत मजबूत होने से ही हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारी ताकत कितनी है, इसी पर विजय अवलंबित है।

देश के हम भण्डार भरेंगे।
लेकिन कीमत पूरी लेंगे॥

किसान का उत्थान।
राष्ट्र का उत्थान॥

किसान की एकता।
राष्ट्र की अखण्डता॥

जय जवान।
जय किसान॥

॥ हर किसान हमारा नेता है ॥

॥ भारत माता की जय ॥

—: प्रकाशक :—

भारतीय किसान संघ

जयपुर प्रान्त

लेजर टाइपसैटिंग : एक्सीलेन्स कम्प्युटर्स, आनन्द चैम्बर्स,
दरिबा बाजार, जयपुर फोन : ३१२३११, ३११५६२

मुद्रक : [illegible], जयपुर